ॐ

निबंधन संख्या - 927/08-09 दूरभाष :: 0651-3512271

विद्या विकास समिति, झारखण्ड

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध)

शुक्ला कॉलोनी, हिनू, पत्रा.-डोरण्डा, राँची - 834002

E-mail - vvs.jharkhand@yahoo.com **Web -** http://www.vvsjharkhand.org.in

विद्यालयी वार्षिक आचार्य कार्यशाला

प्रथम दिवस

प्रथम सत्र : वंदना के पश्चात् संक्षेप में कार्यशाला की प्रस्तावना रखना तथा 20 मिनट किसी विशिष्ट व्यक्ति से उद्‌बोधन। सभी पंजियों, संचिकाओं एवं अभिलेखों को व्यवस्थित करना।

द्वितीय सत्र : सभी अभिलेखों को व्यवस्थित एवं अद्यतन करना। **सभी स्थायी भौतिक सामग्रियों का सत्यापन कर स्थायी वस्तु पंजी को अद्यतन करना**। विभाग प्रमुखों से अपने-अपने विभाग की सामग्रियों की सूची बनवाना। विभागों के कार्य की समीक्षा। परिणाम बैठक पंजी में अंकित करना।

तृतीय सत्र : **सत्र 2022-23** की विस्तृत समीक्षा कर अपने **सबल एवं निर्बल पक्षों** पर विचार करना। (परीक्षा एवं प्रतियोगिता सहित सभी पक्षों पर विचार)। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) पर चर्चा।

चतुर्थ सत्र : **सत्र 2023-24** हेतु आचार्य भारती का गठन करना, दिवसाधिकारी का निर्धारण करना तथा सभी के दायित्व पर चर्चा करना। शून्य कालांश में प्रतिदिन के लिए निर्धारित विषयों की चर्चा करना तथा सभी का अभ्यास करना। एकात्मता-स्तोत्र में वर्णित महापुरुषों, देवियों की चर्चा।

पंचम सत्र : प्रांतीय कार्य-योजना एवं शैक्षिक पंचांग **सत्र 2023-24** के विषयों की चर्चा एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। **सत्र 2023-24** की संकुल की योजनाओं पर भी चर्चा करना। अभिभावक गोष्ठी, अभिभावक संपर्क की योजना बनाना, मातृ सम्मेलन, दादा-दादी, नाना-नानी सम्मेलन, पूर्व अभिभावकों का सम्मेलन आदि आयोजित करने हेतु तिथि/माह निर्धारित करना।

द्वितीय दिवस

प्रथम सत्र : वंदना सत्र के उपरांत विद्यालय की कार्ययोजना निर्माण (कार्ययोजना में बाल विकास, आचार्य विकास, समिति विकास, अभिभावक विकास तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का निर्धारण प्रांत की कार्ययोजना के आलोक में) पर पूर्ण चर्चा करना।

द्वितीय सत्र : हमारे शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्रियाकलापों की उत्कृष्टता पर चर्चा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चर्चा।

तृतीय सत्र : समय सारिणी पर चर्चा एवं निर्माण की प्रक्रिया हेतु (आचार्यों की रुचि-अभिरुचि की जानकारी लेकर) किन्ही दो आचार्य को यह कार्य सौंपा जा सकता है।

चतुर्थ सत्र : पाठ्यक्रम-क्रियान्वयन (शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पाठ्यक्रम) पर विचार। आँग्ल संभाषण (English Spoken) एवं संस्कृत संभाषण की व्यवस्था पर चर्चा। सुलेख एवं वेश-बस्ता की व्यवस्थितता पर समीक्षात्मक चर्चा। **अपना विद्यालय सर्वश्रेष्ठ कैसे बने? चर्चा। सत्रारंभ की चर्चा भी हो।**

पंचम सत्र : गृहकार्य एवं कक्षाकार्य के निष्पादन पर चर्चा। अध्यापन कौशल के विकास पर चिंतन। पाठ-टीका लिखने की पद्धति पर चर्चा। पंचपदी शिक्षण प्रणाली पर चर्चा।

तृतीय दिवस

प्रथम सत्र : वंदना सत्र के पश्चात् नवीन शैक्षिक तकनीक के प्रयोग पर चर्चा, TLM, PLM, TLE के प्रयोग अनिवार्य कैसे हो ? इस विषय पर चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में चर्चा।

द्वितीय सत्र : गुरु पूर्णिमा उत्सव पर मातृ संगठन की योजना, श्रीगुरु दक्षिणा में सम्मिलित होना। **प्रतियोगिता, परिणाम एवं उपलब्धि पर चर्चा।** सेवा कार्य तथा विद्या भारती कार्यकर्ता कल्याण न्यास (आचार्य कल्याण कोष) हेतु संग्रह की योजना। प्रतियोगिता हेतु दायित्व देना।

तृतीय सत्र : **संस्कृति ज्ञान परीक्षा में अन्य विद्यालयों के परीक्षार्थियों की संख्या वृद्धि पर विचार**। केन्द्रीय आधारभूत विषयों के क्रियान्वयन पर विचार करना। **शुद्ध भाषाभिव्यक्ति, शुद्ध एवं सुंदर लेखन पर विचार करना। नवीन प्रयोग, संस्कार केन्द्र, सेवा प्रकल्प पर चिंतन।**

चतुर्थ सत्र : मुक्त चिंतन। संपूर्ण कार्यशाला का वृत्त व चिंतन प्रस्तुत करना। समापन उद्‌बोधन (अधिकतम 20 मिनट) कार्यशाला की उपादेयता पर चर्चा/मुक्त चिंतन।

कार्यशाला आयोजन से संबंधित ध्यातव्य बिंदु

1. आचार्य कार्यशाला त्रि-दिवसीय हो। सभी छोटे-बड़े विद्यालयों में इसका आयोजना करना अनिवार्य है।
2. आवासीय कार्यशाला का आयोजन करना श्रेष्ठ होगा। जिस विद्यालय में आचार्यों को रात्रि में ठहरने की व्यवस्था करने में परेशानी हो अथवा विद्यालय की आर्थिक रचना कमजोर हो, **ऐसे विद्यालय में प्रातः 07:30 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक की कार्यशाला आयोजित हो।**
3. कार्यशाला में भोजन, अल्पाहार की व्यवस्था विद्यालय की ओर से हो अथवा समिति/अभिभावक या समाज से सहयोग लेकर व्यवस्था की जा सकती है।
4. सभी सत्र चर्चात्मक तथा विमर्शात्मक हो।
5. **विद्यालयीन कार्ययोजना में प्रांतीय, क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय कार्यक्रमों व कार्यों का समावेश करते हुए** तथा विद्यालयी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की कार्ययोजना बनें।
6. आवश्यकतानुसार समिति के अधिकारियों व सदस्यों को भी विभिन्न सत्रों में आमंत्रित करना चाहिए। एक ही सत्र में सभी को आमंत्रित करना उचित नहीं है। कार्य निष्पादन का ध्यान रखें।
7. प्रतिदिन अंत में एक घंटे की शाखा लगे। सभी पुरुष एवं महिला आचार्यों के लिए शाखा वेश अनिवार्य है।
8. **विद्यालय कार्ययोजना की प्रति सभी भैया-बहनों को अनिवार्य रूप से दी जाए ताकि विद्यालयी गतिविधियों की जानकारी अभिभावकों को भी हो सके।**
9. **विद्यालय कार्ययोजना की प्रति प्रदेश कार्यालय भी भेजी जाए।**
10. उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त विद्यालय, आचार्य, समिति एवं अभिभावकों के अनुरूप विषयों का समावेश किया जा सकता है।
11. केवल प्रारंभिक सत्र एवं समापन सत्र में किसी शिक्षाविद् अथवा शिक्षा पर विषय रखने वाले अनुभवी महानुभाव से 20 मिनट में विषय प्रतिपादन कराया जाए।
12. आचार्यों के मध्य प्रातः स्मरण, वंदना, दीपमंत्र, गायत्रीमंत्र, शांति पाठ आदि का अभ्यास प्रतिदिन करवाया जाए। साथ ही सत्र भर के लिए निर्धारित सहगानों का सम्यक् अभ्यास हो जाए। अखिल भारतीय गीत का भी अभ्यास हो।
13. सेवाकार्य हेतु संग्रह पखवाड़ा की योजना बन जाए। विद्या भारती कार्यकर्ता कल्याण न्यास हेतु समर्पण एवं सदस्यता पर चर्चा।
14. दैनंदिनी के सभी बिन्दुओं पर चर्चा हो एवं क्रियान्वयन की योजना बने।
15. कार्यशाला हेतु प्रांतीय/स्थानीय कार्यकर्ता विचार परिवार के कोई-न-कोई रहे। इसका चिंतन प्रारंभ में ही हो जाए।

आवासीय कार्यशाला

प्रातः 04:45 बजे	जागरण
प्रातः 06:00 बजे	अमृतान्न एवं चाय
प्रातः 07:00 से 07:30 बजे तक	प्रातः स्मरण एवं योगाभ्यास
प्रातः 08:00 बजे	अल्पाहार
पूर्वाह्न 08:45 से 10:00 बजे तक	प्रथम सत्र
पूर्वाह्न 10:30 से 11:30 बजे तक	द्वितीय सत्र
पूर्वाह्न 11:45 से 12:45 बजे तक	तृतीय सत्र
अपराह्न 01:00 से 02:30 बजे तक	भोजन एवं विश्राम
अपराह्न 02:45 बजे	चाय
अपराह्न 03:15 से 04:15 बजे तक	चतुर्थ सत्र
सायं 04:30 से 05:30 बजे तक	संघ स्थान
सायं 07:00 से 08:00 बजे तक	पंचम सत्र
रात्रि 08:30 बजे	भोजन
रात्रि 10:00 बजे	दीप-निर्माण

भवदीय

प्रदेश सचिव